सुखजाज उर्फ श्रवणराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 43/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/221

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहरान किया तथा मौजा मौजा डेह के खेत खसरा नम्बर 1457 व 1464 की जमाबंदी में प्रार्थी नाम सुखालाल के स्थान पर श्रवणराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये ने हेतु तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम डेह तहसील- डेह की नकल जमाबंदी खाता संख्या 1705 सम्वत् 2073-76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो उतराधिकारी के रूप मे प्रार्थी को मिली तथा प्रार्थी नाम श्रवणराम पुत्र लादुराम के स्थान पर सुखालाल पुत्र लादुराम भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत ता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का क्योंकि नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः संज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा डेह के खाता संख्या 1705 में दर्ज खसरान् 1457 व 1464 में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: : आदेशः : -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **ग्राम-डेह तहसील-डेह जिला-नागौर के खाता संख्या 1705 में दर्ज खसरान् 1457 व 1464 में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम प्रार्थी सुखालाल पुत्र लादुराम हिस्सा 1/2 के स्थान पर श्रवणराम उर्फ सुखालाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 29.3.23 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner